तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25/9/2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27/9/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
27/9/2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 1/10/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
1/10/2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र 212 R7 A ए खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 48/2018
तारीख निर्णय– 1/10/2019

प्रार्थी :–

1. बाबुलाल पुत्र स्वः पेमाराम जी जाति–सरगरा निवासी–नाडोल तहसील–देसूर जिला–पाली

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1. केसाराम पुत्र स्वः जीवाराम जाति–घॉची निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी
2. नेनाराम पुत्र स्वः जीवाराम जाति–घॉची निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी
3. पकाराम पुत्र स्वः जीवाराम जाति–घॉची निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी
4. रामलाल पुत्र स्वः जीवाराम जाति–घॉची निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी
5. लखाराम पुत्र स्वः जीवाराम जाति–घॉची निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर0टी0एक्ट :–

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील दिव्य प्रकाश त्रिवेदी।
2–अप्रार्थीगण संख्या–1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक 1.10.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम नाडोल चक नम्बर 2 तहसील देसूरी मे स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. तथा नया खसरा नम्बर 4422 है। उक्त आराजी प्रार्थी के दादाजी स्वः चमना उर्फ चिमना पुत्र धनाजी की थी। जिसके पश्चात उक्त आराजी प्रार्थी के पिताजी स्वः पेमाजी मे निहित हुई, जो कि जमाबन्दी सवत 2022 से 2025, 2026 से 2029 से स्पष्ट होता है। जिसके पश्चात से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी के पडौस मे अप्रार्थीगण की आराजी ख. न. 4423 आई हुई है जिसके साथ वादग्रस्त आराजी को बाई–मिस्टेक अप्रार्थीगण व उनके पिताजी के खाते मे दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट के दौरान उक्त मिस्टेक हुई है। जिसके कारण वर्तमान मे अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 4423 के साथ दर्ज है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है जो उसकी पुश्तैनी सम्पति है, इसलिए अप्रार्थीगण उनके रिकोर्ड मे दर्ज होने से प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल न करे और न ही वाद ग्रस्त आराजी किसी ओर को हस्तान्तरण करे। इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी (पाली)

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादाजी के नाम रेवेन्यू रिकोर्ड मे दर्ज थी। दौराने सेटलमेंट गलती से अप्रार्थी के एवं उनके पिताजी के नाम दर्ज कर दी गई। अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात 4422 के रिकोर्डेड खातेदार खातेदार रहे एवम अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। यदि विवादित आराजियात 4422 के संबंध मे संबंध मे प्रार्थी के पक्ष मे एवम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जानें बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का आवेदन अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–1/10/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2019.11.11 13:32:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: